



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. बब्बू उर्फ पप्पू उर्फ आसकरन पुत्र बाबूराम नि० रैगना थाना भोगनीपुर थाना कानपुर देहात 2. मोनी पुत्र जानमोहमद नि० वनयानी थाना भोगनीपुर थाना कानपुर देहात द्वारा वादी के पिता की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कालपी में मु०अ०सं० 255/21 (वाद संख्या - 66/21) धारा 302/393 भादवि में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 05.03.2024 को मा० न्यायालय स्पे० जज डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा 02 अभियुक्तगण 1. बब्बू उर्फ पप्पू उर्फ आसकरन 2. मोनी उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 6,000/-6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2022 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 01 साल 11 माह) में दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल महेन्द्र
विक्रम सिंह



कोर्ट पैरोकार अनुज राजपूत

X @jalaunpolice

Instagram jalaunpolice

f JalaunPolice